UPBS040045842026

न्यायालय Ist Addl. Civil JudgeSenior Division/ACJM, Basti

पीठासीन अधिकारी– (ABHISHEK JAISWAL)

उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP02344

Criminal Misc. Cases/897/2026

Sharda Yadav Vs. Sakeena

थाना– सोनहा,जिला बस्ती।

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 379 बी०एन०एस०एस०

दिनांक–20.06.2026

प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

प्रार्थिनी द्वारा 379 बी०एन०एस०एस० प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि प्रार्थिनी ग्राम बरगदवा बांकेचोर, थाना–सोनहा जिला बस्ती की स्थायी निवासी है। दिनांक 03.03.2026 को समय करीब 4:30 बजे सांय की घटना है। प्रार्थिनी के गावं के ही नैमुन्निशा पत्नी रव्वाबअली, प्रभानिशा पत्नी कुदुश अली, शकीना पत्नी हैसियत अली, रहबुन पुत्री कुद्दश पुरानी रंजिश को लेकर प्रार्थिनी के घर में घुस कर लात मुक्का से प्रार्थिनी को मारे पीटे थे, और प्रार्थिनी के गुहार पर प्राथिनी की मां बहन को भी मारे–पीटे थे और सामान को तोड़फोड़ कर नष्ट किये और गाली भी दिये व जान से मारने की धमकी भी दिये, और प्रार्थिनी के नाबालिग भाई कृष्णचन्द्र को छेड़खानी के मुकदमे में फंसाने की धमकी दिये थे। घटना के वक्त विपक्षी सकीना द्वारा मारपीट के बावत डायल 112 की पुलिस को भी बुलाया गया था मौके पर पुलिस आयी थी और दोनो पक्षो को थाने पर बुलाया गया था। मारपीट की घटना में प्रार्थिनी का नाबालिग कृष्णचन्द्र सम्मिलित नही था किन्तु विपक्षी ने उसको फंसाने के लिए नाम लिखवा दिया जिस कारण सोनहा पुलिस द्वारा शान्ती भंग में चालान किया गया था। प्रार्थिनी ने भी घटना की सूचना थाने पर दिया था कोई कार्यवाही नहीं हुई थी एस०पी० को भी घटना की सूचना दिया कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय में दिनांक 17.03.2026 को शारदा यादव बनाम नैमुननिशा आदि परिवाद दाखिल किया है जो जेरे कार्यवाही है, और जिसमें बयान अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० का परविादी शारदा यादव का अंकित हो चुका है। प्रार्थिनी के नाबालिग भाई कृष्णचन्द्र को जेल भेजवाने के लिए विपक्षी सकीना ने झूठा प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल किया है और जानबूझकर झूठा शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल किया है। प्रार्थिनी का नाबालिग भाई कृष्णचन्द्र विद्यार्थी है इण्टरमीडिएट की उसकी परीक्षा 18 फरवरी 2026 से शुरू हुआ था उसी परीक्षा को देने के लिए कृष्णचन्द्र दिनांक 04.02.2026 को पुणे से दिल्ली आया था और दिल्ली से दिनांक 06.02.2026 को चालू टिकट लेकर घर आया था. इसके विपरीत सकीना का यह कथन कि 4 माह पहले कृष्णचन्द्र 9 बजे रात को बच्चे को हत्या करने की धमकी देकर बलात्कार किया था बिल्कुल असत्य है क्योकि प्रार्थिनी का भाई उस समय पुणे में था। प्रार्थिनी के कुछ विपक्षी और सकीना प्रार्थिनी के नाबालिग भाई कृष्णचन्द्र का चरित्र बर्वाद करने पर तुले हुए है जिसके लिए सकीना ने झूठा प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल कर न्यायालय को गुमराह करके आदेश

पारित करवाना चाहती है। विपक्षी सकीना द्वारा न्यायालय की कार्यवाही में झूठा शपथ पत्र साक्ष्य के तौर पर पेश की गयी है जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 229 से 233 तक का अपराध है। क्योकि सकीना को घटना के बावत सत्यता की पूरी जानकारी होने के बावजूद सत्यता से परे जा कर झूठा साक्ष्य गढ़ कर न्यायालय में दाखिल किया गया है। प्रार्थिनी का भाई कृष्णचन्द्र नाबालिग है जिसकी उम्र इस समय लगभग 17 वर्ष के लगभग है विपक्षी सकीना ने न्यायालय को गुमराह करने के लिए कृष्णचन्द्र का उम्र अपने प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में नहीं लिखा है। ऐसी स्थिति में विपक्षी सकीना द्वारा न्यायालय की कार्यवाही में दाखिल किये गये झूठा साक्ष्य / शपथ पत्र के बारे में जांच किया जाना न्यायहित में है। ऐसी दशा में उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी है।

थाने से प्राप्त आख्यानुसार उक्त प्रकरण में कोई अभियोग थाने पर पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि विपक्षी द्वारा झूठे कथनों के आधार पर प्रार्थिनी व उसके परिवार के विरुद्ध 173(4) BNSS का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी व उसके परिवारजन द्वारा प्रार्थिनी व उसके परिवार के साथ मारपीट की गयी थी। जिस संबंध में परिवादिनी द्वारा एक परिवाद विपक्षी एवं उसके परिवारजन के विरुद्ध दाखिल किया गया है। विपक्षी झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थिनी के नाबालिग भाई को झूठे केस में फंसाना चाहती है। अतः झूठी दरखास्त देने के संबंध में विपक्षी के विरुद्ध केस दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी।

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था इकबाल सिंह मारवाह एवं अन्य बनाम मीनाक्षी मारवाह एवं अन्य AIR 2005 SC 2119 में अवधारित किया गया है कि धारा 379 BNSS/ धारा 340 CrPC के तहत मामला तभी बनता है जब न्यायालय में दाखिल किये गये दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गयी हो एवं न्यायालय की राय में न्याय के हित में संबंधित अपराध के संबंध में जांच किया जाना आवश्यक एवं समीचीन (expedient in the interest of justice) है। विपक्षी सकीना द्वारा दाखिल 173(4) BNSS का प्रार्थनापत्र बल न देने के कारण निरस्त किया जा चुका है।

चूंकि विपक्षी सकीना का प्रार्थना पत्र गुण अवगुण के आधार पर निरस्त न होकर बल ना देने के कारण निरस्त हुआ है जिस कारण से विपक्षी सकीना के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता या असत्यता के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सका है। न्यायालय की राय में न्याय के हित में प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में जांच किया जाना आवश्यक एवं समीचीन (expedient in the interest of justice) नहीं है। अतः प्रार्थिनी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 379 BNSS प्रकरण के तथ्यों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार प्रार्थना पत्र 379 बी०एन०एस०एस० निरस्त किया जाता हैं। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अभिषेक जायसवाल-I)
अपर सिविल जज (सी०डि०) प्रथम
/ए०सी०जे०एम०, कोर्ट सं० 8, बस्ती।

Digitally signed by Abhishek Jaiswal
Date: 2026.06.23 12:03:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court